THE CONSTITUTION (NINETY-SECOND) AMENDMENT BILL, 2001

THE MINISTER OF STATE OF MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTRY OF PLANNING, DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND DEPARTMENT OF SPACE (SHRIMATI VASUNDHARA RAJE): Sir, I move:

> " That the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Mr. Chairman, Sir, on 26th November, 2001, I had introduced the Constitution (Ninety-second) Amendment Bill, 2001, in the Lok Sabha. This was to amend the article 16 (4A) of the Constitution retrospectively, that is, from 17th June, 1995. It would provide for consequential seniority to the Government servants belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the case of promotion by virtue of the rule of reservation with a view to negate the effects of the Department of Personnel and Training Office Memorandum dated 30.1.1997. The Bill was passed by the Lok Sabha on 28th November, 2001.

It may be recalled that the O.M. dated 30.1.1997 was issued to give effect to the so-called 'catch-up principle'. This was laid down by the Supreme Court in the case of Virpal Singh Chauhan and in the case of Ajit Singh-I. This was subsequently reiterated by the Constitution Bench in the case of Ajit Singh-II. The issue of O.M. dated 30.1.1997 had adversely affected the seniority of the Government servants belonging to SC/ST category promoted before General/OBC candidates on account of reservation policy. The Government had reviewed the position in the light of views received from various quarters and in the interest of the SC/ST Government servants, it was then decided to bring forth a Constitution amendment to negate the effects of O.M. dated 30.1.1997 immediately. Just a withdrawal of the O.M. of 30.1.1997 would not meet the desired purpose, as the law laid down by the Supreme Court would otherwise prevail. So, the amendment to article 16(4A) of the Constitution to provide for the consequential seniority also in the case of promotion by virtue of rule of reservation has been introduced. It is also necessary to give retrospective effect to the proposed Constitutional amendment to article 16(4A) *with effect from* the date of coming into force of article 16(4A) itself, that is, from the 17th June, 1995.

I may also mention here that the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was also consulted in this regard and the Commission has appreciated our move to carry out such an amendment.

After the Constitution (Ninety-second) Amendment Bill, 2001, becomes an Act, Government would be empowered to grant consequential seniority also to the SC/ST Government servants on their promotion by virtue of rule of reservation.

Sir, with these words, I commend this Bill to the House.

The question was proposed.

श्री राजू परमार (गुजरात) : धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे जी का अभिवादन करता हूं और उन्हें पूरे देश के एस.सी/एस.टी.कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वह यह कांस्टीट्यूशन 92 अमेंडमेंट बिल, 2001 इस हाउस में लाईं। एस.सी/एस.टी. कर्मचारियों को पिछले चार सालों में प्रमोशन, सीनियोरिटी में जो दिक्कतें आ रही थीं वे सभी खामियां इस बिल में अमेंडमेंट की वजह से दूर हो जाएंगी अत: इसके लिए मैं माननीया मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। यह ऑफिस मेमोरेंडम 30.1.1997 को डी.ओ.पी.टी. के जरिए जारी किया गया था। इन चार सालों में पूरे देश के एस.सी/एस.टी. कर्मचारियों को प्रमोशन में काफी दिक्कतें आ रही थीं। चार साल तक प्रमोशन में एस.सी/एस.टी. कर्मचारियों को रिजर्वेशन के जरिए जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा था। इस बात की भी खुशी है कि जो बिल मंत्री महोदया लाई हैं उसमें इनफेक्ट इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। चार साल में एस.सी/एस.टी.कर्मचारियों पर जो अन्याय हुआ वह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने की वजह से दूर हो जाएगा और मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इसके पहले भी हम लोगों ने दो अमेंडमेंट इसी हाउस में पास किए थे, एक 2.7.1997 में और दूसरा 13.8.1997 में पास किया था। लेकिन इन दो अमेंडमेंट का सारे डिपार्टमेंट, राज्य सरकारों, पब्लिक अंडरटेकिंग्स और जहां-जहां रिजर्वेशन का अमलीकरण हो रहा है वहां ठीक तरह से इम्प्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है। इन दो ऑफिस मेमोरेंडम का ज्यादातर सैंट्रल गवर्नमेंट के विभागों में ही इम्प्लिमेंटेशन हो रहा है। लेकिन राज्य सरकारों में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि हमको अभी डिपार्टमेंट की तरफ से सर्कुलर ही नहीं मिला है। इसके कारण एस.सी./एस.टी. को जो पुराने दो अमेंडमेंट्स का लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि जब भी ऐसे अमेंडमेंट हम लोग पास करें तो तुरन्त उसका अमलीकरण हो। जो भी हम अमेंडमेंट पास करते हैं वे राज्य सरकारों को भेजे जाएं, फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस को भेजे जाएं और सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंस को भेजे जाएं। ये सारे सर्कुलर उनको भेजे जाएं ताकि उनका अमलीकरण विभाग के लोग ठीक से कर पाएं। महोदय, मैंने लास्ट सेशन में इसी मुद्दे पर हाउस में, जो मेमोरेंडम डीओपीटी की तरफ से इश्यू हुए थे, इसके बारे में मुद्दा उठाया था और

उसमें मैंने कहा कि वैकेंसी बेस्ड जो हमारा पुराना रोस्टर है, उसकी जगह पोस्ट बेस्ड रोस्टर कर दिया गया है, जिसकी वजह से एससी/एसटी कर्मचारियों को दिक्कतें आ रही हैं। माननीय मंत्री महोदया ने अपने लिखित पत्र में जवाब दिया है कि वैकेंसी बेस्ड रोस्टर टु पोस्ट बेस्ड रोस्टर कर दिया गया है, यदि इसमें हम कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे तो उसको न्यायालय रोक देंगे। तो मैं माननीय मंत्री महोदया से कहना चाहूंगा कि इस बारे में पहले आप अमेंडमेंट लाइए बाद में न्यायालय में रोक लगने वाली बात आएगी। यह जो आफिस मेमोरेंडम है, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर टु पोस्ट बेस्ड रोस्टर, इसको आप तत्काल लायें। इस बारे में मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि जब जब सरकार दलितों के आरक्षण की, उनके सामाजिक उत्थान की, उनके आर्थिक उत्थान की बात करती हैं, सुधार लाने की बात करती हैं और पार्लियामोंट में ये सुधार पास होते हैं तो ऐसे मामलों में न्यायालयों में कोई रुकावट नहीं खड़ी होनी चाहिए। ये रुकावटें इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि जो सेंट्रल रिजर्वेशन ऐक्ट है यह हमारे पास नहीं है। इसकी वजह से अदालतों में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं इस हाउस में कहना चाहता हूं कि जब एनडीए की सरकार आई तो सभी एससी/एसटी एमपीज का एक सेमीनार हुआ था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए थे। आदरणीय पूर्व मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने यह सेमीनार बुलाया था। उस सेमीनार में सर्वसम्मति से सब एमपीज ने अक्रास दि पार्टी लाइन यह कहा था कि एक सेंट्रल रिजर्वेशन ऐक्ट बनाया जाए और उसको नाइंथ शैड्यूल में इन्क्लूड किया जाए। यह सर्वसम्मति से सभी एमपीज ने उस सेमीनार में कहा था। इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने हमको एश्योर किया था कि इसको हम जरूर करेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सेंट्रल ऐक्ट और रिजर्वेशन ऐक्ट के बारे में कोई बिल आप पार्लियामेंट में लाना चाहती हैं या नहीं, इसके बारे में आप हमें अवश्य अवगत करायें। मेरी इन्फर्मेशन के मुताबिक 1995-96 में भी उस टाइम की जो सरकार थी, उसने एक ड्राफ्ट रिजर्वेशन ऐक्ट का बनाया था। लेकिन क्योंकि सरकार गिर गई इसलिए वह उस ड्राफ्ट बिल को पार्लियामेंट में न ला सकी। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि जो वह ड्राफ्ट बिल आपके डिपार्टमेंट में रेडी है, उस को क्या आप हाउस में लाने की कृपा करेंगी। अगर आप ऐसा करेंगी तो इससे पूरे एस.सी./एस.टी. के लोग लाभान्वित होंगे। महोदय, आप जानते हैं कि लोकसभा में हमारे आदरणीय प्रवीण राजपाल एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे। उस पर पूरे चार महीने तक चर्चा हुई और इसमें सभी पार्टियों के सांसदों, करीब 25 सांसदों ने पार्टिसिपेट किया और सब ने यह माना कि हमारे एससी/एसटी के लोगों के लिए एक सेंट्रल रिजर्वेशन ऐक्ट की जरूरत है। तो इन सब की भावनाओं को देखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक ऐसा सेंट्रल ऐक्ट तुरन्त इस हाउस में लायें ताकि ये जो अड़चनें पैदा होती हैं उनका जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। मंत्री महोदया, आप जानती हैं कि डी.ओ.पी.टी. के वैकेंसी बेस्ड रोस्टर टू पोस्ट बेस्ड रोस्टर लगाने की वजह से हमारे गुजरात में लगभग 28000 वैकेंसीज़ अभी भरना बाकी है। वैकेंसीज़ बेस्ड रोस्टर टू पोस्ट बेस्ड रोस्टर का आफिस मेमोरेंडम निकालने की वजह से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28000 वैकेंसीज़ को भर नहीं रही है। वहां की हाई कोर्ट ने क्लीयर कट आदेश दिये हैं कि यह जो 28000 वैकेंसीज़ हैं इनको तुरंत भरा जाए लेकिन आपके आफिस मेमोरेंडम के आधार को ले कर यह लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा जोर इस पर डाल रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक सेंट्रल रिज़र्वेशन एक्ट इस हाऊस में लाएं। मेरी आपसे खास गुज़ारिश है कि पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पदों का बैकलॉग भरने के लिए सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिये,.

सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बैकलॉग भरने के लिए स्पष्ट आदेश आपको देना चाहिये। पहले जो दो शासकीय प्रतिवेदन वापिस लेने के आदेश हुए थे, उन पर भी अमल ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, उनकी भी मोनिटेरिंग होना बहुत जरूरी है। बाकी जो दो आफिस मेमोरेंडम विदड्रा करना बाकी है, उनको भी वापिस लेने की मैं आपसे गुज़ारिश करूंगा। आप यह अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपको दोबारा धन्यवाद करता हूं और मैंने जो आपको अपील की है सेंट्रल एक्ट या रिज़र्वेशन एक्ट लाने के लिए, उस अपील पर भी आप गौर करेंगे तो हम सब एस.सी.एस.टी. के लोग आपके आभारी रहेंगे। मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): आदरणीय सभापति महोदय, मैं 92वें संविधान संशोधन के समर्थन की दृष्टि से खड़ा हूं। इस अवसर पर मैं एन.डी.ए. सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इनिशियेटिव ले कर के जो हमारे पांच शासकीय आदेश जारी हुए थे, उनमें से दो पहले संविधान संशोधन के माध्यम से वापिस हो चुके हैं और तीसरे संविधान संशोधन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1997 में पांच शासकीय आदेश जारी हुए थे। उस समय तथाकथित सामाजिक न्याय की सरकार केन्द्र में थी। एक कहावत है कि करे कोई और भरे कोई। सामाजिक न्याय की सरकार और उसको समर्थन दे रहे थे हमारे विपक्ष के सभी मित्रगण। उस दौरान पांच शासकीय आदेश जारी हुए। पूरे सरकारी कर्मचारी चाहे वह केन्द्र से संबंधित हों अथवा प्रदेश सरकारों से अनुसूचित वर्ग के कर्मचारियों में बड़ा रोष था। उन्होंने धरना, प्रदर्शन, बहुत सारे जो एक लोकतंत्र में उपाय होते हैं, उन सब का उपयोग किया। उन सब के बावजूद जो पांच ओ.एम. जो सुप्रीम कोर्ट के ओब्ज़रवेशंस के आधार पर इश्यु हुए थे, वह वापिस नहीं लिये गये। उससे संबंधित दो शासकीय आदेश जैसे कि मैंने निवेदन किया वापिस हो चुके हैं। जो वर्तमान 92वां संविधान संशोधन विधेयक है वह शासकीय आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1997 को जारी हुआ था उसको नेगेट करने की दृष्टि से लाया गया है। लोकसभा में यह संविधान संशोधन विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ और यहां पर भी सर्वानुमति रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। सभापति महोदय, यह संविधान संशोधन ला कर के एन.डी.ए. सरकार की जो अनुसूचित वर्ग के हितों को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता है, उसका प्रदर्शन होता है। इसलिए मंत्री महोदया को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह अति शीघ्र इस प्रकार का विधेयक लाई हैं। जो इस प्रकार की दिक्कतें अनुसूचित वर्ग के कर्मचारियों को आ रही थीं, उनको दूर करने में इससे बहुत लाभ मिलेगा। यह बात सच है कि लोक सभा में भी और यहां पर भी जैसे हमारे मित्र राजू परमार ने कहा, अभी तक आरक्षण से संबंधित जो नीतियां हैं, जो रूल्स हैं, नियम-विनियम हैं, उनका संचालन केवल शासकीय आदेशों के माध्यम से होता है। सभापति जी, बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक छोटे से अपराध के लिए, एक छोटे से सरकारी काम के लिए कानून बनाए जाते हैं, सेंट्रल एक्ट पास होता है, संसद के माध्यम से एक्ट पास होता है, लेकिन आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से 50 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी सेंट्रल एक्ट लागू नहीं किया गया है, इस संसद द्वारा पास नहीं किया गया है। यह डिमांड बहुत वर्षों से चली आ रही है। सभापति जी, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि आज वे अपने उत्तर में इस बात का एश्योरेंस भी दें कि सरकार शीघ्र से शीघ्र एक सेंट्रल एक्ट लाएगी जिसमें कि जितने भी रूल्स, नियम-विनियम जो आरक्षण से संबंधित हैं उन सबका समावेश होगा और उस सेंट्रल एक्ट को संविधान की नौवीं सूची में डाल देने से जो आए

दिन कोर्ट का कभी कभी इंटरफेयरेंस हो जाता है उससे भी हम लोग बच सकेंगे। सभापति जी, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आब्जरवेशंस आए थे उनके आधार पर ये हुए थे। किसी जमाने के कुछ मित्र यहां हैं। वकील साहेबान भी बैठे हैं, मैं भी था। अब तो प्रेक्टिस नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे याद है जस्टिस कृष्णा अय्यर का जिस समय वे सुप्रीम कोर्ट के जज थे - He was pro-poor, pro-dalits and pro-downtrodden.एक सोच थी उनकी। एक जजमेंट में उन्होंने कहा था - "That the weaker sections of the society, particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have got a fundamental right to participate in the governance of the country." एक वह फाइंडिंग दी थी जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने। अभी कुछ माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने आर्टिकल 16(4)a में कहा, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि -This is not a fundamental right। थोड़ा विरोधाभास लगता है सुप्रीम कोर्ट की सोच में। मैं उनकी कार्यप्रणाली अथवा उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा हूं लेकिन चूंकि यह गरीबों से, दलितों से और आदिवासियों के हितों से संबंधित मामला है इसलिए मैंने इस बात को शेयर करने की बात आपके सामने रखी है। सभापति महोदय, इन सब बातों से मैं थोड़ा सा अलग एक इतिहास पर जाना चाहूंगा। आरक्षण का उद्देश्य क्या है? जो हमारी कांस्टीटुएंट असेम्बली थी, संविधान निर्माता थे, बहुत चर्चा, गंभीर चर्चा के बाद अनुसूचित वर्ग के गरीबों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के संबंध में उन्होंने कुछ निर्णय लिए। आरक्षण का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी देने तक सीमित नहीं था। हम सब लोग जानते थे कि दलितों और आदिवासियों की जो स्थिति है चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक अथवा शैक्षिक हो, यह बहुत दयनीय है। उसको देखते हुए कि उन सबको एक बराबरी का दर्जा कैसे मिले, समाज की मेन स्ट्रीम में कैसे उन सबको ले आएं, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसी आधार पर संविधान के जितने भी प्रावधान हैं, विशेष करके डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स आफ स्टेट पालिसी, प्रीएम्बुल आफ द कांस्टीटयूशन और इसके अतिरिक्त जितने भी आरक्षण से संबंधित इन वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सबमें हमने आरक्षण के प्रावधानों को सुनिश्चित किया। सभापति जी, संविधान में कुछ प्रावधान हैं जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के हितों से संबंधित हैं, मैं उनका संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। इसी आधार पर मैं संविधान की धारा 16(4)ए का उल्लेख करना चाहूंगा।

Article 16(4)(a) says "nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

एक दूसरा प्रावधान आर्टिकल 46 में यह है कि "the States shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."

1.00 P.M.

इससे आगे आर्टिकल 330 है जिसके तहत लोक सभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 332 है, जिसके तहत स्टेट असेंबलीज में भी एससी और एसटी को सीट्स में आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 335 कहता है कि "the claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

सभापति जी, इसके अतिरिक्त आर्टिकल 338 है जिसमें उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर द शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कंस्टीट्यूट करने की बात कही है। इन सारे प्रावधानों को यदि हम एकरूपता दे कर के देखें तो मुझे लगता है कि संविधान में पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं कि इन वर्गों को, चाहे वह सेवाओं में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, उन सब की भलाई के लिए, उनके आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। सभापति जी, जिस समय देश आजाद हुआ सब से पहला आदेश भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 21 सितम्बर, 1947 को किया था जिस शासकीय आदेश के तहत केवल अनुसूचित जातियों को सरकारी सेवाओं में साढे बारह प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 26 जनवरी, 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसके पश्चात् 13 सितम्बर, 1950 को शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए पांच प्रतिशत का कोटा निर्धारित हुआ। लेकिन 1961 का जो सेंसस अर्थात् जो जनगणना आई उसके आधार पर इस कोटे को सरकार ने बढ़ाया और यह अनुसूचित जातियों को 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों को साढ़े 7 प्रतिशत किया गया और यह प्रतिशत अभी भी लागू है। यद्यपि यह जनगणना का आधार वर्ष 1961 का है, उसके पश्चात् तीन जनगणनाएं हो चुकी हैं। सन् 2001 में भी हुई है, लेकिन अभी उसके परिणाम सामने नहीं आए हैं। परन्तु इन 40 वर्षों के दौरान जनसंख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसका जो प्रतिशत आया है वह अभी भी वही 1961 के आधार पर ही चल रहा है। सभापति जी, इसको वर्तमान जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ाया जाना तर्क संगत और न्याय संगत होगा। सभापति जी, 1991 में जो जनगणना हुई उसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 16.48 था और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का प्रतिशत 8.08 था। महोदय, 2000 की जनगणना में मेरा अनुमान है कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग 11 प्रतिशत आने वाला है। इस तरह कुल योग 32 प्रतिशत होता है अर्थात् पूरे देश की जनसंख्या का एक-तिहाई बैठता है। महोदय, आज जिस संविधान संशोधन विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह देश की एक-तिहाई जनसंख्या के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संविधान संशोधन एक बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर और संवेदनशील विषय है जिस पर आज हम सभी इस सदन के सम्मानित सदस्य चर्चा करने वाले हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष जी, नौकरियां चाहे वे केन्द्र सरकार की हों, प्रदेश सरकारों की हों, टाउन एरियाज, म्युनिसिपैल्टीज या पंचायत में हों - इन्हीं में केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के

लिए आरक्षण का प्रावधान है और एक मोटा अनुमान है कि इस समय पूरे देश में नौकरियों की कुल संख्या करीब 4 करोड़ है। महोदय, वर्ष 1961 के साढ़े 22 प्रतिशत को अगर हम हिसाब में लें तो इस वर्ग को 4 करोड़ के अगेंस्ट 90 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इन्हें केवल 45 लाख मिली हैं जोकि करीब 11 प्रतिशत बैठता है। महोदय, यदि हम वर्तमान 32 प्रतिशत की जनसंख्या को ले कर चलें तो मुझे लगता है कि 4 करोड़ में से करीब 1.25 करोड़ के लगभग इस वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रारंभ में आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन 50 वर्ष बाद इस आरक्षण ने धीरे-धीरे सामाजिक सौहार्द के स्थान पर सामाजिक कटुता को जन्म दिया है। आज हम देखते हैं कि कई जगह एंटी-रिजर्वेशन फोरम चल रहे हैं और ऐसी उन की संस्थाएं चल रही हैं। जिस तरह से रिजर्वेशन के फेवर में बहुत से ऑर्गनाइजेशंस काम कर रहे हैं उसी तरह से आरक्षण के विरोध में भी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। उन का अपना एक तर्क है, व्यू पॉइंट है और आरक्षित वर्ग का एक व्यू पॉइंट है। उन का यह कहना है कि 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारा आरक्षण कोटा पूरा नहीं हुआ है। दूसरा व्यू पॉइंट यह कि संविधान के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिला है, उस से हमें वंचित किया जा रहा है। इस वर्ग का एक व्यू पॉइंट यह भी है कि आरक्षण के क्रियान्वयन में ईमानदारी का अभाव रहा है। एक अन्य व्यू पॉइंट यह भी है कि आर्थिक योजनाओं का उन को लाभ नहीं मिल पाता है और हमारे सभी मित्र जानते हैं कि जिस समय राजीव गांधी जिंदा थे, वे कहते थे कि एक रुपया जहां ऊपर से जाता है तो उस में से 85 पैसा खर्च हो जाता है और लाभार्थी को केवल 15 पैसा ही पहुंचता है। उपसभाध्यक्ष जी, यही स्थिति अनुसूचित वर्ग की भी है क्योंकि बिलो पावरटी लाइन में अधिकांशत: यही लोग आते हैं। दूसरी तरफ जो गैर-आरक्षित वर्ग के लोग हैं जिन को कि प्राय: हम सवर्ण कहते हैं, उन का भी एक व्यू पॉइंट है और उन का मन कहता है कि आखिर 50 वर्ष बीत चुके हैं, तो यह आरक्षण पद्धति कब तक चलती रहेगी। क्या इस का कभी अंत होगा? उन का यह भी कहना है कि प्रथम चरण में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए प्रावधानित किया गया था, लेकिन 10 वर्ष समाप्त होने के बाद हर बार आगे 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाता है और इसी तरह से 50 वर्ष हो चुके हैं। उन का यह भी मानना है कि आरक्षित वर्ग के बहुत सारे लोग अयोग्य होते हैं और उन्हें आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिल जाती हैं। उनका एक यह भी कहना है कि योग्य लोगों के ऊपर अयोग्य लोगों को कभी कभी बैठा दिया जाता है और यह सब आरक्षण के माध्यम से होता है। अंततोगत्वा इन सब के कारण एक पारस्परिक कटुता और समाज में एक अविश्वास बनता है। एक ही सेक्सन में एक मंत्रालय में जहां पर आरक्षित वर्ग के लोग काम करते हैं और गैर-आरक्षित वर्ग के लोग काम करते हैं, वह आपस में वहां सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन उनके मन आपस में नहीं मिलते, उनमें आपस में विश्वास नहीं बनता। यहां पर उनके एक दूसरे के हितों में इंटरफीरिएंस होती है, उनमें कटुता बढ़ती है और इस सबका लाभ जो है, वह देश के हित में नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आरक्षण की जो परिस्थिति थीं, किन परिस्थितियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, हम लोग इसको जानते हैं। आखिर हम लोग यहां पर संसद में बैठते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं की एक सोच थी और उस सोच के तहत आरक्षण का प्रावधान किया

गया। संसद ने आरक्षण का कानून पास किया। हम लोग टाइम टाइम पर आरक्षण संबंधी बिलों पर बहस करते हैं, सर्वानुमति से उसे पास करते हैं, लेकिन इन सबका कार्यान्वयन करने वाले माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, कार्यान्वयन करने वाले सदन के बाहर हैं, और जिनको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है वह भी बाहर हैं। हम लोगों का जो व्यू है, सदन की जो एक भावना है, जो एक फिलोसफी है, उसको न तो जिनको लाभ मिलने वाला है वह समझ पा रहे हैं और न ही इन पालिसीज को, नियमों को कार्यान्वयन करने वाले समझ पा रहे हैं । इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है, पूरे सम्मानित सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि इस पर हमें मिलकर एक विचार करना होगा, We will have to go for a broad-based diologue and have an open discussion कि कहां पर क्या कमी रह गई है, जो हम आज पचास साल तक उनका कोटा पूरा नहीं कर पाए। अगर यह कोटा पूरा हो जाता तो शायद यह बात नहीं आती। इसी तरीके से दूसरे लोग सोचते हैं कि इनको बहुत कुछ मिलता जा रहा है। यद्यपि देखा जाए, यदि 32 करोड़ पापुलेशन है, उसमें 40 लाख नौकरियों में हैं तो हम मानकर चलते हैं कि 30-31 करोड़ ऐसे हैं, जिनको नौकरियों का कोई लाभ नहीं है, दूसरी योजनाओं का लाभ तो मिल रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं योग्यता और अयोग्यता के प्रश्न पर अधिक नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मोटे तौर पर आरक्षित वर्ग सर्विसेज में 10 प्रतिशत है, गैर-आरक्षित वर्ग 90 प्रतिशत है। अभी दो दिन पहले विधि मंत्री जी कह रहे थे कि सारे देश के कोर्ट में करीब दो करोड़ मुकदमे लंबित हैं और 170 हाईकोर्ट जजों के पद रिक्त पड़े हैं। आखिर यह सब है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वह जो 10 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

उपसभाध्यक्ष जी, यहां पर एक बात सिस्टम की आती है। The system may be defective, लेकिन कहीं न कहीं जवाबदेही होनी चाहिए, कोई न कोई किसी न किसी की एकाउंटेबिलिटि होनी चाहिए। अब मुझे कुछ आशाएं हैं, एनडीए गवर्नमेंट ने जस्टिस वैंकटचलैया जी की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया है, जिनके सामने कुछ इस प्रकार के मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि शायद इसमें राजतंत्र या शासकीय तंत्र कैसे प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेही बने, इस संबंध में उनका विचार सामने आएगा।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है, मैं इस पर संक्षेप में अपनी बात कहकर समाप्त करुंगा। संविधान निर्माता श्री एच.बी. कामथ ने, जिस समय कंस्टीट्यूएण्ट असेम्बली में डिबेट हो रही थी, उस समय जो कहा था उसका एक छोटा सा पैरा मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा - "I only wish to express the hope that before ten years have expired from the commencement of the Constitution in this country, which has an ancient history, a country which is ancient, but ever young, there will be not merely no backward classes -- socially and educationally -- left, but all the classes will come up to a decent normal human life." उपसभाध्यक्ष महोदय, उसमें नॉर्मल ह्यूमन लाईफ की बात कही गई थी कि 10 साल में आरक्षण के प्रावधान को निष्ठा और ईमानदारी से लागू किया जाए। यह हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी।

"And also that we shall do away with the scheme of any caste being scheduled."

उपसभाध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी, उसको मैंने अपने सम्मानित साथियों के साथ शेयर किया। मैं चाहता हूं कि आरक्षित वर्ग और गैर-आरक्षित वर्ग, इनके बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, उसका कोई हल निकले। संविधान का जो प्रियैम्बल है, उसमें भी हमने कहा है कि हम सबको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय देंगे, यह हमारा संकल्प है, हम सबका संकल्प है और उसको हम कैसे पूरा करें, एक सामाजिक समन्वय कैसे बने, इसके लिए हम सबको मिलकर आत्म-निरीक्षण करना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि हम सब लोग आरक्षण नहीं चाहते तो उसका कोई विकल्प हम ढूंढें। आखिर आरक्षण केवल नौकरी देने से संबंधित नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं और जो दूसरे गरीब लोग हैं, उन सबको गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए आरक्षण का विकल्प ढूंढा गया था और यदि हम आरक्षण का कोई विकल्प ढूंढ सकें तो आरक्षण समाप्त भी किया जा सकता है लेकिन जब तक आरक्षण का हम कोई विकल्प न ढूंढ लें, मेरी प्रार्थना है कि तब तक आरक्षण के नियमों-विनियमों और आरक्षण की नीतियों को ईमानदारी के साथ लागू करते रहना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री राम नाथ कोविन्द : मैं आपका आभारी हूं, मैं केवल एक मिनट और लूंगा। महोदय, सामाजिक सौहार्द का वातावरण कैसे बने, इसके लिए क्या हमें गांधीवाद, डा. अम्बेडकरवाद, डा. लोहियावाद अथवा दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद लागू करना चाहिए, हम सब इस पर विचार करें, इस पर ओपन डिस्कशन हो, हर वर्ग के बीच में डिस्कशन हो, पूरे देश के स्तर पर डिस्कशन हो तो मुझे लगता है कि उस चर्चा से हम सब लोग मिलकर इसका कुछ समाधान निकाल सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग चाहते हैं कि भारत सशक्त बने, समृद्ध बने और सशक्त का अर्थ है कि हर नागरिक सशक्त हो, समृद्ध का अर्थ है कि हर नागरिक समृद्ध हो। ऐसा नहीं है कि देश के 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत नागरिक हर दृष्टि से सशक्त हों और बाकी नागरिक कमजोर रहें। यदि 80 या 90 प्रतिशत नागरिक कमजोर होंगे तो हम भारत को कभी भी सशक्त नहीं बना सकेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो हम सबके बीच में युनैनिमिटी बन रही है, यह स्वागत योग्य है। मुझे उम्मीद है कि इस विधेयक पर किसी का विरोध नहीं आएगा। हमने लोकसभा में भी यही देखा और इस आरक्षण के प्रावधान पर जब हम यहां सर्वानुमति दे रहे हैं तो उससे लगता है कि यह पूरे देश का संकल्प है। यह केवल सरकार का संकल्प नहीं है, यह केवल किसी विशेष राजनीतिक दल का संकल्प नहीं है, यह पूरे देश का संकल्प है और हम पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यह पूरे देश का संकल्प है तो इसका पालन भी देशवासियों द्वारा किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये पंक्तियां लोकतंत्र को मजबूत करने और समृद्ध भारत और सशक्त भारत बनाने के संबंध में हैं।

हर घर में हो उजास तो लोकतंत्र है,
कोई न हो उदास तो लोकतंत्र है।
जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा,
बुझ जाए उनकी प्यास तो लोकतंत्र है।
संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी,
आपस में हो विश्वास तो लोकतंत्र है।
होंठों पे दोस्ती है दिलों में हैं दूरियां,
दिल भी हों पास-पास तो लोकतंत्र है।
गरीब और अमीर, सब हैं भारत मां के सपूत,
हो जाए जब विश्वास तो लोकतंत्र है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया। अब मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman. Here, we are discussing the Ninety-Second Amendment of our Constitution, which will resolve some problems regarding the promotion of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons working in Government services. Sir, one thing is very clear. Despite the Government's reservation policy for the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates, their share in senior bureaucratic slots continues to be dismal. The on-going freeze on fresh employment is hitting the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities in a big way. Even though the Government will do its level best to fill up the backlog, their representation will be minimal. Moreover, as far as the so-called super-speciality posts in defence, space and science and technology are concerned, the gates have to be opened for them. It is not open today. So, here, their representation in Categories A and B of employment is very less. You see the details. I quote from the latest report submitted by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission. They have mentioned that despite the policy of reservation in appointments, the representation of the Scheduled Castes, as on 1.11.2000, was 11.29 per cent in Group A Services of the Government of India, and 12.68 per cent in Group B Services, as against their population percentage of about 16.5 per cent. In the Central public sector establishments, the corresponding representation was 10.35 per cent and 11.05 per cent. The representation of the Scheduled Tribes is much below in all the Groups

under the Central Government. In Group A, their representation is 3.3 per cent and in Group B, it is 3.35 per cent, as against their population of about eight per cent. In Central public sector establishments, their representation in these Groups is 2.97 per cent and 4.18 per cent. This is the situation.

How has this happened? We have to discuss that seriously. Again, if we look at the Central Universities, the position is worse--it was reported 10 years back about most of our prestigious universities. As for the teaching staff, in the Aligarh University, out of 1116, it was only five; in the Benares Hindu University, out of 1204, it was only eight; in the Delhi University, out of 700, it was only nine; in the Hyderabad University, out of 226, it was only 11; in the Indira Gandhi Open University, out of 176, it was only 11; and in the Jawaharlal Nehru University, out of 369, it was only 12. So, this is the representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the teaching positions of the prestigious Central universities in our country. These statistics are from the report of 1981-82. What happens now? It is mentioned that in the Central Universities, the position is much worse. There is hardly any representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the teaching faculties. This is the position.

Why has this happened? Again, I would like to refer to the education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We want more competitive hands from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to represent these communities in high positions in Government services and public sector units. But, for that, we have to train them in a good way. Now, education itself has become very costly. Tutorialisation is going on in education. For formal education, students are going to a college; after that, they will go to some other coaching centre for learning computers, etc.; then, they will go to another institution for coaching for entrance examinations. All these three things are going on in respect of the formal education of a student from the affluent family. What about the Scheduled Caste students from the rural areas? How will they compete with the students from the affluent section from the urban areas, backed by all types of financial help? How are we going to help these students? You see, as per the 1991 Cencus, the literacy level of the SCs and STs is 37.41 per cent and 29.6 per cent respectively against the 57.69 per cent for the other communities. It was reported from 48 districts. The rate of literacy in respect of women was only two per cent. That was also reported. As per the Annual Report of the UGC, the proportion of the SCs and STs in graduate

and post-graduate courses was 8.37 per cent and 8 per cent in respect of the SCs and 3 per cent and 2.14 per cent in respect of the STs. This is the situation. If you want some new qualified hands from the SCs and STs categories, you have to train them properly. They are not being trained from the lower level in the universities and colleges. This is a very serious problem that we are facing. In such a situation, we have to change the existing policy. What is the problem? In the Parliament, we are discussing, deciding and formulating policies. Where is the failure? We have failed to implement these policies. If we go through the details, we will come to know as to why this has happened. So far as the implementation aspect is concerned, we have totally failed. For example, while we are discussing about the reservation quota, what is happening in the public sector units? We are appointing some liaison officers to do this work. A person who is the head of the institution, should be held liable for implementing these policies and if he fails to do so, some action should be taken against him. We have passed so many legislations. Enactments are there. But the political will is lacking. That is why so far no action has been taken against any head of the institutions in our country. Can we give an example where we have taken action against the head of the public sector unit or against the head of the Government institution because he has failed to implement the direction respecting reservation for the SCs and STs? That has not happened so far. That is the failure. Here, we are talking about the cases registered for committing atrocities on the SCs and STs. But how many cases have been registered and punishment awarded? No punishment was there. That is what is going on. So, the problem is that we are failing to implement the decision because of lack of a political will. Here again, I would like to say that privatization is going on and disinvestment is going on. Naturally, it will result in a further decrease in the representation of the SCs and STs in jobs. What would be the formula of the Government? How are you going to check this aspect? Due to the new economic policies, they are further going to lose whatever avenues are available to them right now. Again, when this matter was brought before the Lok Sabha, Shri Pramod Mahajan, the hon. Minister for Parliamentary Affairs had given an assurance that they are thinking about giving this facility or quota in the private undertakings also. I would like to know from the Government as to what steps have been taken by the Government to give more avenues to the SCs and STs in these public sector enterprises. (*Time Bell*) This is a very important point. What is the attitude of the Government in this direction? How are you going to resolve this problem? In our country, we have private

schools and aided schools, where there is no reservation. A lot of employment opportunities are there in these private schools and the aided schools. Is there any reservation in these private schools and the aided schools? The Government is paying from its Exchequer. But there is no reservation. How are you going to resolve this problem? This problem should also be addressed properly. Otherwise, these are only some pious wishes on the part of the Government. We are doing something for the poor. We do it in the election manifestos. But in practice, it should be properly dealt with. There is a lobby working against reservation, and we always find in the news-items and write-ups in the newspapers that 90 per cent of the people are against reservation. No pro-reservation. If you want to start an agitation against the reservations tomorrow, thousands will come to the streets of India, but for the protection of the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes, who are poor people, nobody will come forward. This is the age-old attitude of the society towards the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes. That should be changed. Initiatives should be taken by the Government itself. It has to come with concrete proposals. We are here discussing about the changes or the amendments in the Bill. The Government should take adequate steps to implement it.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : राघवन जी, कृपया आसन ग्रहण करें।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, I will take only one minute. Some of my friends have already mentioned about the vacancy-related roster. That should be urgently reinstated. Otherwise, this will not be implemented. The vacancy-related roster should be reinstated immediately after passing the legislation. And, again, the Government should come with a proper legislation. Otherwise, it would not be implemented. What happened to the land reforms? They were not being implemented. Who were the losers? The Scheduled Castes/the Scheduled Tribes. None of the State Governments, nor the Central Government is now thinking about the land reforms. And about the alienation of land, who are losing most of the land? The Scheduled Castes/the Scheduled Tribes. As regards starvation deaths, who are dying? The Scheduled Castes/the Scheduled Tribes, whether they are from Maharashtra or Kerala or Rajasthan or Orissa. They are dying every day. Starvation deaths have become the order of the day. In such a situation, a proper legislation should be followed. I request, through you, Sir, to the hon. Minister to have an assurance in the House in this regard. It is not just a matter of passing the Bill. Otherwise, the

people will think that it is one more item for the election manifesto for U.P., to get more votes. Those people have their own problems. To clear her conscience, she should tell us here that the Government would come with a comprehensive legislation for ensuring reservation in promotions and filling up the gap in reservations, and also that that would be included in the Ninth Schedule of the Constitution.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Constitution Ninety-Second (Amendment) Bill. Sir, the issue before the country - and it is a very serious issue - is essentially of empowerment. For the last 50 years, there has been tokenism by most political parties, and empowerment that ought to have been the result of these efforts for the last 50 years has not yet been achieved. The reservation policy which was originally restricted for a period of ten years was continued because the results that were showing up made out that the policy was not achieving its purpose. Sir, this particular Amendment Bill is meant to get over certain difficulties, as the Minister has pointed out in the Statement of Objects and Reasons, and also in her statement in this House. And the hon. Minister has rightly said that merely the withdrawal of the Circular of 30th January, 1997 would not have been enough; now what was required was the Constitutional amendment. In this context, the hon. Minister has referred to two Judgments in the Statement of Objects & Reasons, namely, the Judgment in the case of Virpal Singh Chauhan and the Judgment in the case of Ajit Singh No. I. But in her statement before the House, the hon. Minister has now referred to Ajit Singh No. II. So, what is this Constitutional amendment trying to achieve? From time to time, as you know, in matters of recruitment and promotion, there is a roster system in terms of which promotions were granted to the members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes on the basis of a quota which is fixed. The roster is set on the basis of that quota. What happened in Chauhan's case was that despite the fact that the quota was filled and the promotion was given, there was a circular of the Railways which said that even though promotions were given to the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they would not get their seniority within the quota. The Supreme Court said that under article 16(4), which has been part of the Constitution, it was permissible for the Government to give them accelerated promotion, without giving them seniority. That was the decision in Chauhan's case. I compliment the hon. Minister for seeking to undo that decision through a Constitutional amendment, namely, now it will not depend on a circular by

any Department of the Government of India because we have a Constitutional mandate, in terms of this amendment, under article 16(4A) of the Constitution, that any promotion made through the roster system out of the quota of members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will accompany the necessary benefit of seniority to those who have got accelerated promotion. So far, so good. Then came Ajit Singh's case. In Ajit Singh's case the question was slightly different. In Ajit Singh's case the quota was filled up. The issue was this. When the quota stood filled up and the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates wanted to get promotion to the general category beyond the quota, were they entitled to seniority? Therefore, the issue in Chauhan's case is different from Ajit Singh's case, which is called Ajit Singh-I. The Supreme Court said, "No, that could not be", because once a Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidate has filled this quota and the roster is over, when he goes to the general category, he will be treated as a general category candidate. If he is treated as a general candidate, the principle of equality will apply, and, therefore, he will neither get any accelerated promotion nor any accelerated seniority. That problem is not being addressed by this Constitutional Amendment. That is point number two.

Then came the case of Ajit Singh-II, which the hon. Minister has mentioned in the course of her opening statement in this House, which reiterated the principle in the terms that I have set out. Thereafter came the latest judgement of the Supreme Court, which has not been mentioned by the hon. Minister. It is reported in (2001) 2 Supreme Court cases, 666, *M.G. Badappanavar vs. State of Karnataka*. In this case, again, the issue was, when promotions were granted outside the roster, when the roster has been completed, whether seniority was available to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates in the general category. This is what the Supreme Court said and I would like to bring it to the notice of the hon. Minister because she has to respond. The Supreme Court said:

> "The Supreme Court in Indra Sawhney case held that if creamy layer among backward classes were given same benefits as backward classes, it will amount to treating equals unequally. Equality is a basic feature of the Constitution of India and any treatment of equals unequally or unequals as equals will be violation of the basic structure of the Constitution of India. Therefore, if seniority is given - please mark the following words - to

the roster point promotees it will violate the equality principle which is part of the basic structure of the Constitution. Even article 16(4-A) cannot, therefore, be of any help to the reserved candidates. That is the legal position under the Constitution of India."

So, how does this Constitutional amendment help the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates when the Supreme Court holds that this is part of the equality principle, which is part of the basic feature of the Constitution of India and says that no Constitutional amendment can override the basic feature of the Constitution of India, i.e. cannot override the equality principle? That is why this exercise of the Government in moving this amendment to the extent it seeks to rectify the problem raised in the case of Union of India *versus* Veerpal Singh Chauhan is good. But, in the context of its seeking to undo Ajit Singh- II and subsequent judgement of the Supreme Court, it is, in fact, stillborn. The Government has not, in fact, addressed itself to this basic issue. Therefore, I believe, this particular amendment as proposed is a mere Constitutional tokenism. If we are genuinely concerned, I can say with a sense of confidence that all of us would like empowerment of members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and let us for once and for all resolve it. Let us rise above party affiliations and get together and do something genuinely for members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, instead of proposing amendments. I am sure the hon. Minister must have taken the opinion of the Attorney - General or the Solicitor - General and this position should have been made clear to the Government by then. I wish that had been placed before this House. Merely getting an opinion from the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not enough, in the light of what I have quoted from the Supreme Court judgements because we indeed want to do something in the matter. Is the Minister willing to make a statement in this House - because this is going to lead to a lot of litigation - that the Government will seriously consider moving the Supreme Court to set aside the principles laid down in the Indra Sawhney case? We want this assurance from the Minister and we will back the Minister and we will back the Government on our part. But this kind of Constitutional tokenism will not do. I am afraid, this has been happening for too many years. The numbers have been given to you. Ultimately, where does empowerment start? It starts when a child is born in a family of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is when the empowerment starts. Who has helped that child whether it is a girl child or a male child?

The figures show for themselves. In fact, if you look at the level of literacy, there is a very interesting thing to note. As many as 203 districts have Scheduled Castes literacy percentage lower than the national average of 37.41 per cent. As you know, in all there are 400 districts in the country. Sir, 50 per cent of the districts in this country have a literacy level among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is less than the national average of 37.41 per cent. Then as many as 189 districts have literacy level lower than the national average of 49.1 per cent for the Scheduled Caste males. Out of 441 districts, as many as 212 districts have female literacy percentage lower than the national average of 23 per cent. Only 23 per cent is the national average among females in 212 districts in India. That means more than 50 per cent have less than the national average. As many as 162 districts are having Scheduled Tribe male literacy percentage below the national average level. As many as 115 districts in the country - this is quite shocking - are having a Scheduled Tribe female literacy percentage of below 10 per cent. So, when you talk about empowerment, what is the Government proposing to do in respect of the problems pertaining to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय सिब्बल जी, आपके दल के केवल 8 मिनट थे और एक माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री कपिल सिब्बल : मैं अभी बन्द कर देता हूं। मुझे तो कोई प्रोब्लम नहीं है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : बोलने दीजिये, माननीय सदस्य महत्वपूर्ण वकील भी हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : आप अपना समय दे दीजिये।

श्री संघ प्रिय गौतम : चलो दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इनके दल का समय तो पहले ही समाप्त हो चुका है।

SHRI KAPIL SIBAL: This is a very serious issue. Now, what are we talking about? As the hon. Member from the other side of this House pointed out, we are talking about 40 lakh jobs! But, out of what? Out of a population of 32 crores! Now, it cannot be even assumed that we are going to increase these jobs. We are living in the ages of decrease and not

increase; in the ages of liberalisation and privatisation, these jobs are not going to increase; they are going to decrease. If the jobs are going to decrease, then, reservation is also not going to increase. If reservation is going to decrease, then, what are we talking about? When we have to deal with 32 crore people in the country, 40 lakh jobs is a pittance. Are we going to empower them by merely giving 40 lakh jobs or 80 lakh jobs? If we are genuine, then, the political parties, across the board, should sit together and devise a formula. Sir, most of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are in the rural areas of this country, not in the urban areas. In fact, if you look at the 1991 census, - I don't have the 2001 figures - out of the total number of Scheduled Caste people in India, namely, out of 13.82 crores, 11.23 crores are in the rural areas. And if you talk about the Scheduled Tribe population, out of 6.78 crores, 6.27 crores are in the rural areas ...*(Interruptions)*... that too in the remote areas. So, when you talk about empowerment, you are naturally talking about health and education. And, therefore, what are we talking about? Private schools are not going to go to these remote areas. We have to have public funding for this. And what do we see? We see a reduction of public funding in the field of education in the last two-and-a-half years. On the one hand, you want to reduce public funding in the field of education and health; so, you are really not concerned with empowerment. And, on the other hand, you believe in constitutional tokenism. So, let us be clear. Are you genuine, or, are you not genuine? So, when you are not genuine, we would like to have a debate on this issue. Let us have a consensus in this House on this issue.

Sir, I was talking about general figures. Now, if you look at the female and male ratio, the figures are even more shocking. Now, you are moving the 92nd Constitution (Amendment) Bill, in which 0 - 6 years have been left altogether; it is only in respect of 6 - 14 age group children. Now, if a child cannot go to school, is incapacitated, suffers from polio, cannot go to a hospital, suffers from malnutrition, what kind of a child will he grow up to be by the age of six? And what are you doing about it? Sir, with greatest respect, I would say that this constitutional tokenism will not do. We don't want to make it political. But we do want a statement from the Government as to what it is going to do in respect of the issues that I have raised. And, in the general framework of doing something for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the backward caste people of this country, does this Government have a plan, especially, in the context of

health and education? With these words, I thank you, Sir for giving me this opportunity to speak on this Bill.

श्री जनेश्वर मिश्र : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी माननीय कपिल सिब्बल साहब जी ने सर्वोच्च न्यायालय की एक-दो संविधान संबंधी टिप्पणियों का जिक्र किया जिनमें संविधान की समानता का सिद्धांत निहित है। मैं चाहूंगा कि संविधान संशोधन में उनके सुझावों पर जरूर ध्यान दिया जाए। मैं बहुत टेक्निकल बात नहीं करूंगा। अपना देश बहुत ही गरीब है। गरीबी एक रोग है। यह खुजली के जैसा एक रोग है। किसी-किसी की ठीक हो जाती है। लेकिन अपार गरीबी है। उस गरीबी में यह जाति व्यवस्था कोढ़ का रोग है। खुजली में कोढ़ लग जाए तो कितना भयानक होता है और वह आदमी कितना उदास रहता है। उतनी ही उदास हमारी कौम है। इस उदासी का निदान सरकारी पैमाने पर बजट बनाकर या किसी और तौर-तरीके से किया जा सकता है या नहीं लेकिन इसका निदान कराने के लिए हम लोगों को कोई बुनियादी रास्ता निकालना पड़ेगा। यह जो द्वंद आजकल चल रहा है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, यह द्वंद आजादी की लड़ाई के अंतिम दौर में शुरू हो गया था। उन दिनों समाज के दलित वर्ग के लोगों ने यह महसूस किया कि हमको उच्च वर्ग के लोग अपने कुओं पर पानी भी नहीं भरने देते हैं, हमारी परछांई से नफरत करते हैं, मुल्क आजाद हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे। अम्बेडकर साहब ने उन लोगों की भावनाओं की अगुआई की थी। मैं उनका साधुवाद कर रहा हूं। उस समय गांधी जी लड़ाई के नेता थे। उन्होंने वादा किया कि मुल्क आजाद हो जाएगा तो तुम्हारा ज्यादा ख्याल किया जाएगा। तुमको विशेष मौका दिया जाएगा। यह वादा उस समय के जो पंडित लोग थे - मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू - उन लोगों की मौजूदगी में किया गया था। संविधान बना। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के जिस समानता के सिद्धांत की बात करते हैं, अम्बेडकर साहब ने अपनी कलम से लिख दिया था कि संविधान के सामने सभी समान रहेंगे। जैसे ही यह कलम बनी, हम लोग तो बच्चे थे, हम समझ गए कि हो कैसे सकता है। एक तरफ तो मनु का विधान चलता है कि एक ऊपर है और एक नीचे है और दूसरा अम्बेडकर का विधान आ गया है कि सब बराबर हो गए। यह जाति जो है, यह जड़ होती है। हमारे कम्युनिस्ट मित्र लोग वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वर्ण जब चलता-फिरता है तब वर्ग कहलाता है और वर्ग जब जड़ हो जाता है तो वर्ण कहलाता है। यह जड़ है, गैर-बराबरी की जड़। हम पैदा होते ही ब्राह्मण, कोई पैदा होते ही हरिजन, दलित, कोई पैदा होते ही यादव। जैसे आम का पौधा निकलता है, पैदा होते ही आम। यह जड़ है। जब जड़ता हासिल कर लेता है कोढ़ का रोग तो उसका निदान मुश्किल हो जाता है। यह हजार, दो हजार साल का कोढ़ है। 50 साल से इसका निदान नहीं निकल पा रहा है, बल्कि और तनाव बढ़ रहा है। जब ये दो लाइनें बनीं थीं तभी हम लोगों को मालूम था कि एक तरफ खड़ी लाइन जड़ है और दूसरी तरफ पड़ी लाइन हिलती-डुलती है। लेकिन प्रयास किया गया। गांधी जी का आश्वासन था। अम्बेडकर साहब की लड़ाई थी। उसके मुताबिक प्रयास किए गए कि खड़ी लाइन में जो थोड़ा ऊपर है उसको थोड़ा नीचे करो। जो नीचे है उसको ऊपर करो और पड़ी लाइन के बराबर लाने की कोशिश करो। तब से द्वंद चल रहा है। हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि उच्च वर्ग के लोग कई तरह के प्वाइंट दिया करते हैं। ये देंगे। हमारे गांव में हमारे घर पर फूल लगे हैं। हमने

मालियों को देखा है। कोई-कोई तो माली होता है जो टहनियों को काट दिया करता है जिनमें कली नहीं खिलती। लेकिन एक माली को हमने देखा, उपसभाध्यक्ष महोदय, ऊपर की टहनी में जो कली आती है वह तो अच्छी धूप पाती है, अच्छी ओस पाती है, हवा अच्छी पाती है उसमें बढ़िया फूल खिलते हैं। जो नीचे कली खिलती है उसको न धूप लगती है, न हवा लगती है, न ओस लगती है, वह बिना खिले मुरझा जाया करती है। हमारी जाति व्यवस्था उसी तरह की टहनी और उसी तरह का पेड़ है। बढ़िया माली एक हमने देखा था जो कि ऊपर की कली को थोड़ा झुकाता था और नीचे की कली को थोड़ा उठाता था ताकि सब को बराबर की हवा, पानी और धूप लग सके। यह बिल भी नीचे की कली को थोड़ा उठाने वाला है। अभी वह उठ नहीं पा रही है। मंडल कमीशन के दौरान हम लोगों ने कसमसाहट महसूस की। कसमसाहट तो होती है, जब ऊपर वाली कली को झुकाने चलेंगे तो वह कसमसायेगी कि हमको नीचे कर रहा है। बहुत से अगड़ी जाति के लड़के आत्मदाह करेंगे। लेकिन जब नीचे वाली कली को थोड़ा ऊपर उठायेंगे तो वह इतराएगी कि वह भी ऊपर आ रही है। यह इतराहट और कसमसाहट का टकराव भी एक बार होगा। जो कोई भी मालीगिरी करेगा, चाहे वह वर्तमान सरकार करे, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह करें, चाहे मुलायम सिंह करते हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर करते हों, चाहे जो कोई करता हो, इस कसमसाहट और इतराहट में ...(**समय की घंटी**)... क्या समय खत्म हो गया, मैं तो अभी बोल ही नहीं पाया हूं, खैर, हम छोड़ देंगे। मैं कह रहा था कि जो कोई भी मालीगिरी करेगा, टहनी के कांटे उसके हाथ में लगेंगे ही और कभी-कभी खून भी निकलेगा, बदनामियां भी होंगी, लेकिन हम लोगों का सदन में बैठ करके इस बिल से काम नहीं चलेगा, जैसा कि माननीय कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि संपूर्ण जाति व्यवस्था को खत्म करना है और यह जो खड़ी लाइन है मनुवादी व्यवस्था की उसको पड़ी लाइन में संपूर्ण रूप से कब बदला जाएगा, इसके लिए कोई मजबूत कानून चाहे संविधान में संशोधन करके लाना पड़े तो वह भी लाना होगा। हमारे जैसा आदमी निजी तौर पर आदमी-आदमी में किसी भी लाइन में विश्वास नहीं करता और कभी वह सपना होगा कि दोनों लाइन तोड़ दी जाएं और इंसान-इंसान के बीच में कोई लाइन न रहे। लेकिन यह रोग लग गया है तो इसके निदान के लिए यह मामूली संविधान संशोधन नहीं, इससे भी मजबूत संविधान संशोधन तत्काल पांच-दस साल के अंदर लाया जाए जिससे संपूर्ण समाज व्यवस्था को बराबरी की सतह पर लाया जाए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इससे भी बड़ा संविधान संशोधन सब से सर्वानुमति ले कर के पेश किया जाए, यह मैं मांग करूंगा। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्रीमती वंगा गीता।

† SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Thank you Sir, I rise to support the Constitution (Ninety-Second Amendment) Bill which seeks to amend article 16(4) (a) of the Constitution retrospectively. I whole-heartedly welcome this laudable step the Government has taken. The Office Memorandum dated 30th January, 1977 had adversely affected the seniority of the Government employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribe employees. This bill will give an opportunity to the

† English translation of the original speech delivered in Telugu.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees to get the promotions due to them as per their seniority. The proposed measure is to negate the effects of the said office Memorandum and to grant consequential seniority to the SC and ST employees on their promotion by virtue of rule of reservation.

Sir, the Constitution makers like Shri Ambedkar were very clear in their minds when they included the provision of reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They knew that the people belonging to these sections of Society came from most backward economic and social background. Even today a majority of them have been deprived of proper educational and other facilities and as such cannot be expected to compete with general candidates who are socially better placed. The present Bill therefore is a step in the right direction for which the Government deserves to be congratulated from all quarters.

The Centre and State Governments are introducing many schemes. But still they have to introduce many more schemes for the upliftment of SC and ST people. Sir, through you I would like to bring it to the notice of the Hon'ble Minister that these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are also lagging behind in education. Especially the people living in villages are the worst affected. Sir the women belonging to these tribes are facing a miserable situation. They are becoming the victims of the situations around. They do not have basic requirements too. They have no medical facilities. They do not have proper schools where they can avail of primary education. The tribal people living in remote areas are the worst affected, as they do not have any medical facilities at all. If there are schools there are no teachers, if there are hospitals there are no doctors. So, the Government should try to provide the basic requirements like health and education to these tribes.

The said memorandum issued by the Department of Personnel was certainly a set back to the progressive policy of reservation that the country has been pursuing for more than half a century. This has been a bitter experience of all of us that many of the bold and progressive measures, such as the present legislation lose much of their force on implementation front with the result that the benefits of such laws do not fully reach the sections of society for which they are meant. A monitoring agency should be set up to have a check on the implementation part of it. The State

2.00 p.m.

Governments also should join hands with the Centre in successfully implementing the Schemes introduced.

Sir, in our Andhra Pradesh, our Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu being a man of progressive thinking made efforts to provide medical facilities and education facilities to these tribes living in remote villages. I can assure the Hon'ble Minister that our State will not only welcome but implement the law for the welfare of the marginalized sections of society.

I once again welcome the Bill and congratulate the Government for introducing it. Thank you Sir.

SHRI CHO S. RAMASWAMY (Nominated): Sir, Shri Kapil Sibal has said that if the amendment is challenged in a court of law, it may be thrown out. It is one reason for reconsidering this Bill. Another reason is that it is, on the whole, an unwise move.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I have not made that statement. I have not said that if it is challenged, it would be thrown out. I have never said that. I want to put the record straight. I only said that, I wish the Government had taken the opinion of the Attorney-General and the Solicitor-General, as regards this amendment, whether it serves the purpose or not. Whether it would be struck down or not struck down is something that only a court of law can decide. How can I, a small person of this country, say that it would be struck down?

SHRI CHO S. RAMASWAMY: Sir, I feel, it is an unwise move. It is not going to help the SC/STs to strive for their own betterment and help the morale of the bureaucracy. The reservation in appointments is understandable. Those who have been, unfortunately, suppressed for centuries together can claim a preferential treatment at the recruitment level, as a matter of right, not as a matter of concession, from the society. But, after recruitment, I feel, they should be encouraged to compete with others for promotions and obtaining seniority. Sir, seniority can only be obtained through putting in service and not through conferment. If the Government is serious about upliftment of the SC/STs, then the effort should start at the

level of primary education. The best possible education should be made available to them. Now, since poverty is very much prevalent among the SC/STs, they either go to work at an early age or give up schooling in the middle or go to the worst possible schools, because their families cannot afford anything better. So, the Government should design ways and means of providing the best possible education to them from the primary level onwards, enabling them to compete with others. This would give them confidence, self-respect, a sense of achievement and fulfilment. On the other hand, measures like providing reservations even in promotions will only succeed in making the beneficiaries complacent and indifferent. It is, actually, a disincentive to obtain merit or to achieve efficiency. Also, this measure would demoralise the services. What would be the morale of an honest, hardworking employee, when he gets sidelined because he was not born in a particular caste? Have such persons got to face the hurdle of birth till retirement? It is totally unfair. We talked about the respect that we have for the judiciary. If it is Ayodhya, then the verdict of the judiciary has to be respected. But if it is reservation, then the verdict of the judiciary has to be thrown into the dustbin! I fail to understand the logic behind this. This is an unwise move, which will shatter the morale of the services, discourage the hard working youth from aspiring for Government employment and also end - up in building complacency and indifference in those whom it tries to benefit. Hence, I oppose the Bill. Thank you.

SHRI KA. RA. SUBBIAN (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me this opportunity to express my views in support of the Constitution (Ninety-second Amendment) Bill, 2001, brought before the House by hon. Minister, Smt. Vasundhara Raje.

First of all, we have to appreciate and congratulate our hon. Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee, who was instrumental and responsible for, bringing this amendment, after hearing the views of all hon. Members of Parliament who are representing the reserved constituencies, and also from various other quarters. As far as this Amendment is concerned, it is to safeguard the interests of employees belonging to the SC/STs, as far as promotions are concerned. The amendment sought for is: Under clause (4A) of article 16 of the Constitution - it is a small amendment - for the words 'in matters of promotion to any class', the words 'in matters of promotion, with consequential seniority, to any class' are to be added. So, the amendment is, 'promotion, with consequential seniority to any class.'

As commended by all the senior Members of this August House, it has become imperative on the part of the NDA Government, headed by hon. Vajpayeeji, to get over the Office Memorandum, issued by the Government on 30th January, 1997, based on the judgement delivered by the hon. Supreme Court in the case of Virpal Singh Chauhan, 1995, in SCC, 684, and in the case of Ajit Singh, No.1, AIR 1996 SC, 1187. In fact, the decision is to the effect that the SC candidates who got jobs under the reservation quota could not be entitled to seniority over the candidates belonging to the general category, as a matter of right. The OM was issued on the basis of this judgement. Now, the amendment of Article 16(4)(a) of the Constitution to do away with the effective implementation of the Government's Office Memorandum dated 30th January, 1997. Representations were made by MPs for protecting the SC and ST Government servants, and there were representations from various other quarters also, to negate the effect of the OM dated 30th January, 1997. The Government considered that the mere withdrawal of OM was not sufficient to review and revise the seniority of Government Servants, they decided to amend Article 16(4A) to give retrospective effect to this benefit from 17th June, 1995 *i.e.,* from the date on which Article 16 (4A) came into force. Sir, I will take only a few minutes.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

SHRI KA. RA. SUBBIAN : I will take only two or three minutes. I am proud and have the privilege to express my views because I come from the soil where our great leader Periyar E.V.R., was born, who not only started the self-respect movement, but also, while the Justice Party was ruling the Madras Presidency, the first communal GO to protect the rights, to safeguard the rights, of the Backward Classes and the Scheduled Castes. It was brought as an Act in the year 1928. Sir, actually, the first amendment to the Constitution was brought in the year 1951 by our late Jawaharlal Nehru, because the communal GO brought in Tamil Nadu was struck down by the Supreme Court. Due to the agitations launched by great leaders like Periyar, Kamaraj and Anna, Jawaharlal Nehru, the late Prime Minister, thought it fit to bring the first amendment to the Constitution, whereby the rights and privileges of these people were protected and safety was given to the deserving people...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

SHRI KA. RA. SUBBIAN: I will make only one point, Sir. Not only that Babasaheb Ambedkar was responsible to bring this provision in the Constitution. He was the author of the Constitution. The first Law University in India, in the name of Dr. Ambedkar, was inaugurated by our President on 20th September, 1997. Not only that; a memorial for Dr. Ambedkar, called 'Ambedkar Mani Mandapam' was also inaugurated by our leader, Dr. Kalaignar, on 6th August, 2001. In the year 1989, the reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes was enhanced from 68 per cent to 69 per cent. Out of this, 16 to 18 per cent was reserved for the Scheduled Castes; one per cent was reserved, exclusively, for the Scheduled Tribes; 30 per cent was for the Backward Classes, and 20 per cent was reserved for the Most Backward Classes.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया बैठिये। संघ प्रिय गौतम जी आप क्या कह रहे थे।

SHRI KA. RA. SUBBIAN : Only one minute, Sir. I am concluding. In 1996, the allocation for the Adi Dravidar Tribal Welfare Department was Rs. 280 crores. In the year 2001, it was raised to Rs. 620 crores. That apart, a high-level committee, headed by the Minister for Adi Dravidar Tribal Welfare, was formed in the year 1997 to examine the appointment of SC/ST candidates in Government Service and to take special care to fill up the reserved seats. In the year 2000, a separate Directorate was created for the welfare of the Scheduled Tribes.

Under the Rural Development Programme, around 2,84,000 group houses have been constructed. Our Leader, Dr. Kalaignar, has always preached for the removal of caste barriers and has always tried to create a casteless society. He has also tried to put this into practice. Almost all the marriages of his grandchildren ...*(Interruptions)*... are inter-caste marriages. ...*(Interruptions)*... I am concluding. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। श्री संघ प्रिय गौतम जी।

SHRI KA. RA. SUBBIAN : The State Governments should be instructed to implement this amendment properly. With these words, I conclude.

SHRI S. NIRAIKULATHAN (Tamil Nadu) : Sir, for the Ambedkar memorial, Dr. Puratchi Thalaivi allotted an amount of Rs. 5 Lakhs.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : गौतम जी, कृपया आप यह ध्यान रखें कि आपके दल के पास केवल एक मिनट का समय है। आप तो गागर में सागर भर देते हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण की पृष्ठभूमि की मेरे विद्वान साथियों को पूरी जानकारी नहीं है। जब भारत के लोगों में राज करने की जिज्ञासा जाग उठी और प्रतिनिधित्व आ गई तो ब्रिटिश साम्राज्य ने राज्य बनाने से पहले एक कानून बनाने की आवश्यकता समझी। यह कानून कैसा होगा इसके लिए 1930 में गोलमेज कांफ्रेंस लंदन में आहूत की गई। उसमें भारत के विभिन्न निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें डा. अम्बेदकर भी निर्वाचित होकर गये थे। मानव अधिकारों के रूप में डा. अम्बेदकर ने एक संविधान का प्रारूप बनाकर के उसके कुछ प्रावधानों में इस आरक्षण को प्रस्तुत किया था और बड़ी बहस के बाद, जद्दोजहद के बाद सारे देश के प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बाद वह सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि डा. अम्बेदकर का कथन सही है और वहां के दलितों को कुछ सुविधाएं देनी चाहिएं। इसीलिए पृथक निर्वाचन के रूप में एक कम्युनल अवार्ड मिला, लेकिन श्री महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि कहीं दलित अलग न हो जाएं, हिन्दू समाज कमजोर न हो जाए और एक दलित स्थान की मांग न हो जाए, इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी जान खतरे में आ गई, अंततोगत्वा एक समझौता इस देश के तमाम हिन्दुओं में और दलितों में हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। उस पूना पैक्ट में इस सारे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब भारत का कानून 1935 में बना तो उसमें यह सन्निहित किया गया और 1936 में पहले शैड्यूल्ड कास्ट/शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर जारी हुआ। इसीलिए यह दो वर्गों के बीच में एक समझौता है और अगर मैं यह कहूं कि यह दो विचारों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में समझौता है, इसीलिए इस समझौते को कोई तोड़ नहीं सकता है। जब तक दोनों पक्ष राजी न हों। दूसरा, इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? वी.पी.सिंह जी ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया था और इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में चुनौती दी गयी थी, पिछड़ी जातियों के आरक्षण को। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं था लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुसूचित जाति-जनजाति के आरक्षण को भी मुद्दा बनाया। उन्हें सुनने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उनको फरीक़ नहीं बनाया और इसके बाद जस्टिस अहमदी ने इस प्रोन्नति के मामले पर अपनी भिन्न राय असहमति व्यक्त भी की। इसलिए यह यूनैनिमस जजमेंट नहीं था। And it was subject to review. और उस समय की सरकार को रिव्यू करना चाहिए था, पैटीशन दायर करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की गयी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अनवारंटिड मुद्दा उठाया था। वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि यह पांच साल तक चलेगा और इसके बाद में लागू होगा। यह 16 नवम्बर 1992 का जजमेंट था। इसे 15 नवम्बर 1997 तक चलना चाहिए था लेकिन यहां की नौकरशाही ने तीस जनवरी 1997 को ही शासकीय आदेश जारी कर दिया और उसी दिन से इनका गला घोंटना शुरू कर दिया। यह नौकरशाही भी इसके लिए जिम्मेदार है। महोदय, कौन जिम्मेदार है? आज जो हमारे साथी इसका विरोध कर रहे हैं, इन बातों को देखें कि संविधान के प्रीऐंबल में क्या है? वह भी बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान के प्रीऐंबल में दिया है -'equality of status and opportunity' तो कहां है इक्वुएलिटी ऑफ स्टेटस? मिल गयी क्या इन लोगों को? और तीसरा, धारा 16(4) में आरक्षण है - इन सैलेक्शन ऐंड पोस्ट। पोस्ट में भी आरक्षण है।

सैक्रेटरी जनरल की पोस्ट अलग है, ज्वाइंट सैक्रेटरी की पोस्ट अलग है, सैक्रेटरी की पोस्ट अलग है। यह धारा-16(4) कह रही है। यह जो फंडामेंटल राइट है How can the Supreme Court go against this? How can the Supreme Court interpret it? यह तो उसी में दिया हुआ है कि हर पोस्ट में आरक्षण होगा। इसलिए जो प्रोन्नति के आरक्षण का प्रश्न हुआ, वह इन दो मुद्दों को लेकर हुआ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब कृपया समाप्त करें।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, आखिरी बात कह रहा हूं। जहां तक कन्फ्रंटेशन और शोषणवाद है, इसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है और लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... लैजीस्लेशन नहीं है। हम तो कानून सही बना रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे अच्छी तरह से समझेगी, संविधान की भावना को समझेगी। मान्यवर, आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ आधा मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कई बार आधा मिनट हो गया है।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप कृपा करके देखिए, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग शिक्षित हैं ही नहीं। कपिल सिब्बल जी ने ठीक कहा है कि वे बहुत बड़ी उम्र में पढ़ने बैठते हैं इसलिए जब तक बड़ी पोस्ट पर पहुंचे, उससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। आज भारत सरकार में एक भी सैक्रेटरी अनुसूचित जाति का नहीं है। ज्वाइंट सैक्रेटरी, ऐडिशनल सैक्रेटरी मुश्किल से तीन-चार हैं। कैसे होंगे? अगर प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो कैसे यहां तक पहुंचेंगे? इसीलिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। मैं केवल दो सुझाव दूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल) : दो क्यों, चार दें।

श्री संघ प्रिय गौतम : महोदय, मैं अभी मैक्सिको में गया तो मैंने पूछा कि ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : आप चार सुझाव दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : चार तो यह बोल चुके हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : वहां के राष्ट्रपति से मैंने पूछा कि आप शिक्षा को प्राइवेट क्यों कर रहे हैं और लिब्रलाइजेशन में इसकी क्यों हिमायत कर रहे हैं? उन्होंने दो बातें कहीं। उन्होंने कहा कि 1910 में हमने दो काम किए थे। एक तो फ्री कम्पलसरी ऐंड यूनीफॉर्म ऐजूकेशन बाय दी स्टेट्स और दूसरा लैंड रिफॉर्म। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : यूनीफॉर्म नहीं, यूनीवर्सल।

श्री संघ प्रिय गौतम : इसलिए आज हमारे देश में न तो लैंड रिफॉर्म हुआ और न यहां पर शिक्षा किसी को मिली। इसलिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं, एक तो यह है, Let there be free, compulsory and uniform education to every citizen of the country; and it should be in the hands of the State. इसको प्राइवेट में नहीं जाने दें, and there is no need for reservation to any class. सरकार न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करे और जब तक नियुक्ति नहीं करती है, यहां सरकार के लोग बैठे हैं, आप एन.डी.ए. के तमाम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करें। इसमें नेशनल ज्युडिशियल कमीशन भी आपका कमिटमेंट है। आप इसको तुरन्त बनाइए और अगर इसमें देर होती है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण की व्यवस्था करिए। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक इन गरीबों का भला नहीं होगा। धन्यवाद, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : लोक सभा से संदेश, महासचिव।

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(i) The Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2001

(ii) The Appropriation (Railways) No.4 Bill, 2001

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No.3 Bill, 2001, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 4th December, 2001.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No.4 Bill, 2001, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 4th December, 2001.